UPJB010063472025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जनपद अमरोहा।

पीठासीन अधिकारी–संजय चौधरी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

फौजदारी निगरानी सं०–315/2026

निशांत आदि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य आदि।

आदेश

दिनांकः–28.07.2026

1. निगरानी की पत्रावली प्रस्तुत हुई। यह निगरानी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय के आदेश दिनांक 27.11.2025 के विरूद्ध दायर की गयी है। प्रश्नगत आदेश से विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद संख्या 723/2025 , विनीता बनाम निशांत आदि के मामले में निशांत व बालकराम को धारा 352 व 351(2) के अन्तर्गत तलब किया है। इस तलबी आदेश से व्यथित होकर तलब किये गये अभियुक्तों की ओर से यह निगरानी दायर की गयी है।

2. इस निगरानी से सम्बन्धित सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि मूल परिवाद की परिवादिया विनीता के द्वारा अपने पति व उसके परिजनों के विरूद्ध यह कहते हुए परिवाद दायर किया कि वह अपने पति से चल रहे दहेज उत्पीड़न के मामले में न्यायालय से पैरवी करके दिनांक 10.03.2025 को जब वापिस जा रही थी तो दिन के करीब 02.00 बजे जोया रोड़ पर जोयी से पहली कोल्ड स्टोर के पास बाग के सामने सड़क के किनारे विपक्षी निशांत पुत्र बालकराम और बालकराम तथा शिवेन पुत्र निरंजन खड़े मिले, जिन्होंने परिवादिया और उसके भाई की मोटरसाइकिल को रूकवाकर मारपीट की। बालकराम ने परिवादिया के भाई को पकड़ लिया तथा निशांत और शिवेन ने परिवादिया को जबरन खींचकर अपनी कार में डाल लिया और जान से मारने की नियत से ले जाने लगे। शोर सुनकर बहुत सारे लोग आ गये तब परिवादिया को गैस गोदाम जोया के पास फेंककर ये लोग चले गये। इस परिवाद के समर्थन में परिवादिया के द्वारा अपना, अपने भाई सुमित चौधरी का और बन्टी नामक व्यक्ति का बयान करवाया। साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्तगण निशांत व उसके पिता बालकराम को धारा 352, 351(2) बी.एन.एस. में तलब किया गया। अभियुक्त शिवेन के सम्बन्ध में कोई विचार प्रश्नगत आदेश में व्यक्त नहीं किया गया न ही परिवादिया को शिवेन और निशांत द्वारा कार में खींचकर डालकर ले जाने और लोगों के इकटठा हो जाने के कारण गैस गोदाम के सामने फेंककर चले जाने के घटनाक्रम के सम्बन्ध में कोई विचार व्यक्त किया है। विपक्षीगण नोटिस की तामीला के उपरान्त मजिस्ट्रेट न्यायालय में उपस्थित हुए थे और जिनके द्वारा आपत्ति दायर की गयी थी। इन आपत्तियों के सम्बन्ध में भी कोई विचार व्यक्त किया है, ऐसा कोई निष्कर्ष प्रश्नगत आदेश में नहीं दिया गया है।

3. निगरानीकर्ता के द्वारा निगरानी याचिका पर बल देते हुए कहा गया कि पति–पत्नी के पारिवारिक विवाद में दबाव बनाने के लिए यह फर्जी मुकदमा दायर किया गया है। कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया है। निगरानीकर्ता की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष दाखिल आपत्ति पर विचार नहीं किया गया। बयानों में विरोधाभास है, इसलिए प्रश्नगत आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

4. विपक्षी को नोटिस भेजा गया। विपक्षी की ओर से वकालतनामा दाखिल हुआ, परन्तु सुनवाई के लिए कोई उपस्थित नहीं आया।

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.07.28 16:29:19 EDT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5. इस निगरानी के निस्तारण के लिए अभिलेख पर उपलब्ध निम्न बिन्दु विचारणीय है–

I. विचारण न्यायालय द्वारा गवाहों के बयानों का हवाला देने के बाद बयानों के आधार पर घटनाक्रम को प्रथम दृष्टया बनता हुआ पाने का निष्कर्ष देते हुए धारा 351 (2) और 352 बी.एन.एस के अन्तर्गत तलबी आदेश पारित किया गया। धारा 351(2) आपराधिक अभित्रास और धारा 352 लोक शांति भंग करने के लिए प्रकोपित करने के आशय से अपमान से सम्बन्धित है। साक्ष्य में आया है कि मारपीट की गयी और वादिया को निशांत व शिवेन के द्वारा पकड़कर गाड़ी में डालकर ले जाया गया। इस बीच परिवादिया के भाई को अभियुक्त बालकराम के द्वारा पकड़ लिया गया। महिला को जबरन उठाकर गाड़ी में डालकर ले जाने के घटनाक्रम के लिए और मारपीट की घटनाक्रम के लिए कोई तलबी आदेश पारित नहीं किया गया है। इसका कोई कारण भी आदेश में नहीं दिया गया है।

II. जिन गवाहों के बयान पर विश्वास करके तलबी आदेश पारित किया गया है, उन सभी के बयानों में शिवेन की सक्रिय भूमिका बतायी गयी है, परन्तु शिवेन को तलब न किये जाने का कोई कारण प्रश्नगत आदेश में नहीं बताया गया है।

III. तलबी आदेश से पूर्व प्रस्तावित अभियुक्तों के द्वारा अपने पारिवारिक विवाद और इस सम्बन्ध में चल रहे मुकदमों की आपत्ति को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। तलबी आदेश पारित करते समय आपत्तियों पर कोई विचार किया गया अथवा नहीं किया गया , इसका कोई उल्लेख प्रश्नगत आदेश में नहीं है , जबकि **माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक** के द्वारा **श्री बसनगौड़ा आर. पाटिल बनाम श्री शिवानन्द एस. पाटिल, क्रिमिनल पिटिशन संख्या 13872/2024, निर्णय दिनांक 07.03.2025** से यह कहा है कि नोटिस दिया जाना केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि प्रस्तावित अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके लिए परिवादी के बयान और परिवादी के समर्थन में प्रस्तुत हुए गवाहों की प्रतियां भी देनी चाहिए और उसकी आपत्ति को सम्पूर्ण मामले के साथ विचार में लेना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक की इस व्यवस्था का उल्लेख **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद** के द्वारा **प्रतीक अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, निर्णय दिनांक 26.11.2024** में किया गया है।

6. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु इस निष्कर्ष पर पहुंचा रहे हैं कि प्रश्नगत आदेश मामले के तथ्यों पर सही दृष्टिकोण से विवेक प्रयोग करते हुए अपने निष्कर्ष के लिए सही कारणों का उल्लेख किये बिना पारित किया गया है। प्रस्तावित अभियुक्तों की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार किये बिना पारित किया गया है। यह आदेश "बिना कारण" वाले आदेश की परिधि में आ रहा है , इसलिए अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दिया जा रहा है कि पुनः विस्तृत सुनवाई करते हुए , साक्ष्य का और प्रस्तावित अभियुक्तों की आपत्तियों का परीक्षण करते हुए विधि सम्मत आदेश, आदेश तक पहुंचने के कारणों को वर्णित करते हुए पारित किया जाये।

प्रश्नगत आदेश दिनांक 27.11.2025 अपास्त किया जा रहा है। निगरानी उपरोक्तानुसार निस्तारित की जी रही है।

दिनांक–28.07.2026

(संजय चौधरी)

Id. No:–UP6401

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–3

जनपद अमरोहा